प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 1984 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संदेश

भारत के देश निवासी, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों,

हम हर 15 अगस्त को यहां पर एकत्रित होते हैं। यह कोई उत्सव नहीं है, हम जमा होते हैं उन बहादुरों की याद में जिन्होंने आजादी की लंबी लड़ाई में अनेक कष्ट उठाये, जीवनदान भी दिया। यह आंदोलन बहुत बहुत वर्षों का है और जितना आजकल के लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए वो बड़े भूल गये हैं और युवा पीढ़ी को तो मालुम ही नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम हैं महापुरूषों के और महिलाओं के कि उनका वर्णन हम यहां नहीं ले सकते। लेकिन उदाहरण के तौर पर कुछ लेती हूं, केवल ये मिसाल देने के कि कैसे भारत के हर कौने से, हर धर्म के लोग उसमें शामिल थे। तिलक, दादाभाई नौरोजी, दिल्ली के डॉक्टर अंसारी, तैयब जी साहब अनेक ऐसे तो एक पुश्त के लोग थे। फिर आये भारत में लौटे महात्मा गांधी और आजादी के रास्ते में एक नया मोड़ लिया। जिसमें केवल बुद्धिजीवी और बड़े लोग नहीं लेकिन सारे देश के किसान, मजदूर, युवापीढ़ी और सभी लोग उसमें साथ हुए।

हम क्यों इस लाल किले पर आज झण्डा फैहराते हैं, ये कोई आजादी का प्रतीक नहीं है, पुराने जमाने का प्रतीक है। लेकिन नेता जी सुभाष बोस ने नारा दिया कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो लाल किले से तिरंगे को हम उड़ायेंगे। ये कारण है कि 15 अगस्त को यहां भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने ये झण्डा फैहराया और तब से हर प्रधानमंत्री इस कर्तव्य का पालन करते हैं। झण्डा फैहराया गया उसके पहले इस लाल किले में तीन हमारे बहादुर गिरफ्तार थे। वो हमारे रास्ते से नहीं चल रहे थे। उनका कुछ दूसरा रास्ता था। लेकिन उन्होंने भी आजादी के चाह से, प्रेम से सब कुछ छोड़ने को त्यागने को तैयार हो गये थे। वो

वो भी शाहजवाज खां को तो दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं एक मुस्लिम, प्रेम सहगल और ढिल्लों। कोई हमने उनको नहीं चुना कोई विदेशी हुकुमत ने उनको नहीं चुना। लेकिन तब भी इत्फाक से तीन धर्मों के लोग वो थे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं घड़ी घड़ी की हम समझें कि ये देश आजादी कैसे हुआ। आजाद हुआ क्योंकि सब धर्म के लोग, सब भाषा के लोग, सब प्रांत के लोग, सब जाति के लोग एक थे। एक ध्येय था, भारत को स्वतंत्रता मिलनी है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हमारे सामने कुछ दूसरे प्रश्न हैं। उस वक्त एक बड़ी चीज हमारे पास नहीं थी और उसके लिए लड़ना था। आज उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है और वो लड़ाई, वो चेष्टा, प्रयास उससे कुछ कम नहीं है। जो उस समय हमारे सामने बांधे आते थे, रूकावटें आती

थीं, खतरे थे, धमकी दी जाती थी। वो सब चीजें दूसरे रूप में, दूसरे प्रकार से हमारे सामने, हमारे चारों तरफ हैं।

कुछ लोग कहते हैं जब मैं खतरे की बात करती हूं तो लोगों को देश के भीतर के प्रश्नों से ध्यान भटकाना चाहती हूं। इससे बड़ी गलतफहमी हो नहीं सकती। क्योंकि देश के आज के जो कष्ट हैं, जो हरेक वर्ग के कठिनाइयां हैं अगर उनसे हम परिचित नहीं रहते हैं, अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो हम देश को कैसे कजबूत रख सकते हैं। आज हमें खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। हमारे दिल में अत्यंत दुख भी चिंता भी है। दुख है कि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा है। दुख है कि आज भी देश में वो ताकतें कुछ उभरी हैं, वो कुछ जहर फैल रहा है जो देश की एकता को खतरे में डाल सकता है। धर्म के नाम से लेकिन मैं याद दिलाऊंगी कि जो कौमी दंगे होते हैं जिनमें बहुत से मासूम, बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं, माल नष्ट होता है, उनकी कौमी क्षति जरूर है लेकिन उसमें राजनीति भी होती है। उसमें आर्थिक कारण भी होते हैं। कुछ मन का छोटापन और कमीनापर भी आ जाता है कभी कभी।

आंध्रप्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इन जगह कौमी दंगे हुए हैं। दूसरे हादसे, दूसरे भी प्रांतों में हुए हैं। जहां भी किसी को दुख है वो उनका, ना व्यक्ति का, ना परिवार का, ना उस कौम का दुख है, वो सारा भारत का दुख है। वो सारे भारत के ऊपर एक कलंक है और हम सबका कर्तव्य है कि इन चीजों को हम अपने देश में से जड़ से उखाड़ कर निकालें। मतभेद तो होते हैं और खासतौर से जो लोकतांत्रिक परंपरा हमने अपनाई है उसमें और भी जगह मतभेद के हैं। लेकिन इसके मायने नहीं कि हम उनके ऊपर नहीं निकल सके। राजनीति, पार्टीबाजी या जिन दूसरे, एक दूसरे के इसमें अंतर हैं उससे ऊपर उठना है, एक ध्येय के लिए कि इस देश को एक रखें। क्योंकि एक नहीं रह सकते, अगर देश मजबूत नहीं रह सकता तो फिर मतभेद कहां जायेंगे। किससे लड़ेंगे हम, किससे दोस्ती करेंगे? जब कोई है ही नहीं, जब देश गिर जाएगा। तो बहनों और भाइयों हम सब उसके संग गिरेंगे कोई नहीं बच सकता है।

जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे तो केवल राजनीतिक आजादी नहीं, सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए, आर्थिक न्याय के लिए। एक पड़ाव पूरा हुआ, दूसरे अभी चल रहा है, रास्ता लंबा, कठिन और दुश्मन जैसे पहले साफ दिखाई देता था आज वो छुपे हुए दुश्मन हैं। कुछ तो सच में दुश्मन हैं और बहुत से ऐसे हैं जो बिना सोचे गुमराह हो जाते हैं, दूसरे कुछ थोड़े से लोगों की बातों में आकर।

सबके दिल में इस वक्त पंजाब का ख्याल आता है। मैं पंजाब की कहानी नहीं सुनाना चाहती हूं आपको। अनेक बार बोल चुकी हूं लेकिन क्योंकि गलत

प्रचार हो रहा है तो दो शब्द में कहूंगी। आज बहुत से लोग इस सम्मेलन में शामिल हैं जो यहां हमको दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इस अर्से में पिछले दफे जब मैं आपसे बोली तब से टीवी और रेडियो के अंतर्गत दूर दूर के गांव आ गये हैं। बिजली ज्यादा फैली है, पीने का पानी और जगह पहुंचा है। हर प्रकार की मदद गरीबों के करने की कोशिश की गयी है। आर्थिक सहायता, शिक्षा, लेकिन इन चीजों पर मैं फिर से बात करूंगी। अभी मैं कहना चाहती हूं कि जो आंदोलन चलते हैं, चाहे एक प्रांत या दूसरे प्रांत में वो किसी भी ख्याल से आरंभ हों उनमें दूसरे तबके घुस जाते हैं। जिनकी मांगें नहीं होती हैं या दूसरी मांगे होती हैं और जो उस आंदोलन को अपना ही मौड़ देते हैं। हिंसा, कत्ल, जलाना हर प्रकार की बुराई उसमें लाते हैं। जो आंदोलन चलाने वाले होते हैं वो उनके काबू से वो हट जाता है। यही पंजाब में हुआ है। कुछ प्रचार हो रहा है खासतौर से बाहरी अखबारों में और टीवी पर मैंने देखा कि जैसे की हमने मांगों पर कभी बात ही नहीं की। आप सबको मालूम है कि कितनी लंबी बातचीत हुई, कितने थोड़े सी चीजों पर रूकावट थी। हमारी नीति चाहे देश के भीतर, चाहे देश के बाहर, हमेशा ये रही है, गांधी जी की, जवाहर लाल नेहरू जी की, मौलाना आजाद की दिखाई हुई नीति कि जहां तक बन सके समझौता करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। हमारी तरफ से लड़ाई नहीं। शुरू से ही जिसकी जरा भी कोई मांग होती है चाहे वो मेरा साथी हो, चाहे मेरा विरोधी हो। मैंने हमेशा वो मांग सुनी है, उनसे मिली और यथाशक्ति पूरी करने की कोशिश की है। लेकिन मेरी शक्ति भी सीमित है, साधन सीमित हैं, रूपये सीमित हैं। उसके अंतर्गत ही हम कर सकते हैं और दूसरा ये है कि कभी कभी ऐसी मांगे होती हैं जो कुछ लोगों को पसंद हैं और दूसरों को क्रोधित कर सकती हैं। दूसरे प्रांत में गड़बड़ हो सकता है इसलिए सोच समझकर चलना है और जो मांग करते हैं चाहे वो प्रांतीयता के नाम से हो या धर्म या भाषा या कोई और कारण उसमें मेरा ये अनुरोध है कि अपने कष्ट की तरफ तो जरूर देखिए, लेकिन अपने चारों तरफ भी देखिए कि उनकी मांगों को पूरा करने से दूसरों को कष्ट तो नहीं होगा। या भारत पर आर्थिक या दूसरा ऐसा बोझ तो नहीं पड़ेगा जिससे भारत कमजोर हो या उस बोझ से दब सके। क्योंकि ऐसी अगर आर्थिक कष्ट आता है हमारे ऊपर तो उन पर भी आएगा। हमने अपनी योजना के अंदर सबका ध्यान दिया है और हमारी कोशिश है कि सब वर्गों का, सब प्रांतों की उससे सहायता हो, प्रगति हो, विकास के काम आगे बढ़ें।

इस वक्त केन्द्र और राज्यों के बीच का क्या रिश्ता है उसपर चर्चा चल रही है और हमने भी कहा है कि इससे बात हो सकती है और हमें विश्वास है कि सच्चे दिल से करें तो आसानी से समझौता भी हो सकता है। सन् 1960 और 61 में जहां पांच सौ करोड़ कि धनराशि का तबादला हो रहा था केन्द्र से राज्यों को वहां आज बारह हजार करोड़ हो रहा है। कितनी रकम बढ़ी है

लेकिन न राज्य संतुष्ट हैं और न ही हमारे केन्द्र के मंत्रालय संतुष्ट हैं। बस कहते हैं कि हमको कम मिल रहा है। ठीक है जितनी जरूरत है उससे कम मिल है लेकिन किस ने, धनी से धनी देश हो किस ने आप देखेंगे कि सबकी मांगें पूरी तौर से संपूर्ण पूरी हो रही हैं। मांगें तो हमेशा रहेंगी और बढ़ेंगी। हमको ये देखना है कि जो संपन्न हैं जो दूसरे से ज्यादा अच्छी हालत में हैं उनकी मांगें पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं जो दबे हुए लोग हैं, कमजोर हैं किसी कारण उनकी मांगें पीछे न हट जायें। कहीं उनकी कमजोरी न बढ़ जाये। क्योंकि वो जो भारत के गरीब हैं वो मजबूत होंगे तो सारा देश मजबूत होगा। तभी जो आज संपन्न हैं वो और अपनी ताकत भी बढ़ा सकते हैं और मेरी तो आशा है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं बढ़ायेंगे, देश की भलाई के लिए अपने से कमजोर की मदद करने के लिए। देश को हर दिशा में आगे ले जाने के लिए। इसीलिए हमारा जोर सारा रहा है कि कमजोर तबकों की ज्यादा सहायता की जाये। 20 सूत्री कार्यक्रम का यही ध्येय है और उसके अंतर्गत डेढ़ करोड़ परिवारों को अपना जीवनस्तर थोड़ा सा ऊंचा करने में मदद की गयी है। डेढ़ करोड़ तो बहुत से देशों की तमाम आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन जहां 70 करोड़ हैं उसमें तो वो कम पड़ता है। कोई जादू नहीं है जिससे ये 70 करोड़ तक हम जल्दी में पहुंच सकते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम तो अभी हाल ही शुरू हुआ है। उसमें नौकरी का भी प्रबंध हुआ है और वो बेरोजगार हमारे देहात के हों या शिक्षित दूसरे हों नौजवान उस कार्यक्रम में भी काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। रिंग देने में और और कार्यक्रमों में भी सफलता प्राप्त हुई है। मुझे मालुम है कि कमियां भी हैं, मालुम है कि लोगों ने गलतियां की हैं और लोगों ने आकर मुझसे शिकायत भी की है। आपको आश्चर्य होगा जो दिल्ली में नहीं रहते हैं या पहले दफे सुन रहे हैं कि सिवाय छुट्टी के दिनों को छोड़ कर जब भी मैं दिल्ली में होती हूं तो कभी कुछ सौ और कभी कुछ हजार लोग मुझे रोज सुबह मिलने आते हैं, हर तबके के, हर धर्म के, भारत के हर कौने से। कोई केवल कहते हैं कि हम तो दर्शन करने आये हैं, कोई अपना दुख बताते हैं, कोई शिकायत करते हैं, कोई उन्नति की प्रशंसा भी करते हैं। तो मुझसे बहुत से बाहर के लोगों ने कहा कि क्या आपका समय नष्ट नहीं होता है इतने लोगों से मिलने का। दूसरे देश के तो कोई नेता मिलते नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा इससे भारत का चित्र क्या है, छवि क्या है लोगों के मन की बात क्या है वो मेरे समाने आती है और इसमें समय कभी नष्ट नहीं हो सकता। सबसे जरूरी काम यही है।

हमने सिंचाई के काम को तो बहुत बढ़ाया है। हमारे कुछ किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जितना हमने पिछले चार वर्षों में किसानों के लिए उतना पहले शायद कभी नहीं हुआ। वैसे उनके तरफ ध्यान तो आजादी के आंदोलन में तो थे ही वो हमारे एक जड़ समझिये आंदोलन की, उसके बाद भी

हर समय उनके तरफ ध्यान था वो हमारे अन्नदाता हैं। मुझे मालुम है कि जो चीजें वो खरीदते हैं उसके दाम बढ़े हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि उनकी सहायता करें और की भी है। रसायनिक खद को हम आठ सौ करोड़ की सब्सिडी यानी जो दाम हैं, जो होने चाहिए दाम उससे कम उनसे ले रहे हैं, आठ सौ करोड़ तक। गरीब देश के लिए आसान नहीं है। इसी प्रकार से जो वो पैदा करते हैं उसकी कीमत भी पहले से काफी बढ़ी है। लेकिन ये सच है कि जिन चीजों की उनको जरूरत है उसमें कुछ कीमतें बढ़ी हैं, यहां भी बढ़ी हैं, दूसरे देशों में भी बढ़ी हैं। ये भी सच है कि जैसे जैसे उन्नति और प्रगति होती है, वैसे मांगें भी बढ़ती हैं जो लोग दो तीन साल पहले ट्रेक्टर का सोचते भी नहीं थे, थ्रेशर का सोचते भी नहीं थे, इतनी खाद का उपयोग या कीड़े मारने की दवा का उपयोग ही नहीं करते थे आज वो मांग बढ़ी है और जितनी मांग बढ़ती है उतनी पैदावार नहीं बढ़ती। इसलिए दाम बढ़ते हैं तो हमको इन सब बातों को संग लेके सोचना है। जितना हम उन पर निर्भर हैं, उतना वो भी निर्भर हैं कारखाने से क्या पैदा हो उस पर। तो मजदूरों की तरफ भी ध्यान देना है कि उनको न्याय मिले। कभी हमारा दोष होता है, कभी मिल मालिक का दोष होता है और कभी मजदूर स्वयं क्योंकि एक यूनिट में या कारखाने में बहुत से यूनियन हों और एक दूसरे का मुकाबला करें, लड़ाई करें उसमें भी समय भी जाता है और उत्पादन में भी उससे हानि होती है। इन चीजों की तरफ हमको ध्यान देना है अगर हरेक तबका अपने प्रश्न को बड़े भारत के चित्र के अंतर्गत देखे तो वो देखेगा कि केवल उसकी कठिनाई नहीं है। किसानों की कठिनाई है, तो मजदूरों की कठिनाई है, तो गृहणी की कठिनाई है, महिलाओं को जिनको सस्ते से सस्ते में कोशिश करनी है अपना घर चलाने में इस मंहगाई के जमाने में। ये मंहगाई के शिकार केवल भारत के लोग नहीं है, सारी दुनिया में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आवश्यक वस्तु हैं वो लोगों तक पहुंचें और इसमें जो राशन प्रणाली है उसकी सहायता में अनाज के वितरण करने में दूर दूर पहुंचाने में आठ सौ पचास करोड़ खर्चे किए जा रहे हैं और हर कोशिश है कि बढ़े। अगर कोई बीच में बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसपे सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। लेकिन वो उसी समय पता होना चाहिए किसने किया और कहां किया। अगर सब कहेंगे कि ये सब करते हैं तो कार्यवाही करनी मुश्किल हो जाती है। ये तो जो वहां के रहने वाले हैं, स्थाई लोग उनको इसपर सतर्क रहना है।

जो अत्याचार होते हैं, चाहे हरिजन पर हों, चाहे अल्पसंख्या के लोगों पर हों, चाहे महिलाओं पर हों। जो पड़ौस के लोग सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो तभी इसका कोई रास्ता निकलेगा। हमारी तरफ से तो कानून और मजबूत करने की पूरी चेष्टा है। जो नहीं भी मांग करता है हम उस मांग को भी सोचते हैं कि ये कठिनाई उठ सकती है इसके लिए भी हम अभी क्या करें। तो

ये जमाना है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने पैर पर खड़े हों। हमारा नारा है कि राष्ट्र आत्म निर्भर हो। लेकिन राष्ट्र के माने क्या हैं। कोई जमीन नहीं लेकिन आपमें से प्रत्येक नागरिक चाहे कहीं भी रहते हों, आपमें आत्मनिर्भता जहां तक हो सके वो आये, ये हमारी चेष्टा है और उसके समीप जिम्मेदारी जाती है, जिम्मेदारी है कि आप अपने कर्तव्य का भी पालन करें। आप देखें कि हिंसा न हो, आप देखें कि जो पवित्र स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं वो हिंसा के लिए अडडे न बन जायें, अस्त्र जमा करने के अडडे न बन जायें, बरे काम के अडडे न बन जायें। आपका कर्तव्य है कि साम्प्रदायिकता का नारा नहीं उठे और जहां उठता है आप स्वयं जाइए जैसे आजादी के जमाने में हमारे कार्यकर्ता जाते थे और लोगों को शांत करते थे और वो जो उनका गुस्सा था उसको कम करने की कोशिश करते थे क्योंकि हमने करके देखा है, हमको मालुम है कि ये हो सकता है। क्योंकि भारत में बड़े बड़े काम उठाये हैं इसलिए हमको विश्वास है कि आगे और बड़े काम हम कर सकते हैं।

खतरे देश के भीतर हमेशा ही रहते हैं, जहां इतनी विविधता है, इतने धर्म और भाषा, इतने नियम और रश्म वहां कुछ न कुछ तो एक दूसरे से मुकाबला चलता ही है। लेकिन हमने हमेशा ये सोचा कि ये विविधता कमजोरी की निशानी नहीं है। ये एक समृद्धि की निशानी है। ये भारत को एक और सुंदर बनाता है, हमारे समाज को सुंदर बनाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी कि धर्म पर आंच लगे या किसी की परंपरा पर कोई आंच लगे। सब अपने रास्ते पर चलें। लेकिन वो सब रस्ते मिलने चाहिए। जैसे नदियां सागर में जाती हैं वैसे भारतीयता के सागर में ये सब अलग अलग परंपरायें, अलग अलग नियम और रश्म मिलें। जिसमें हम सबको फक्र से कहें कि हम भारतीय हैं। हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, अच्छी तरह से बहुत से लोग धर्म को नहीं मानते हैं इसलिए उनपे कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, अपने धर्म का पालन करेंगे तो ज्यादा अच्छे नागरिक बन सकते हैं। किसी धर्म में यह नहीं है कि लड़ाई करें। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करूणा सिखाई है और उस धार्मिक रास्ते पर अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। अभी भी समाज नया हो रहा है। अभी भी अपनी पुरानी परंपरा को रख कर हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं और यही एक कारण है कि हमारे देश में भी कष्ट बढ़ा और बाहर से भी दबाव और कष्ट हमारे ऊपर ज्यादा आया।

लेकिन जीवन दुख और सुख का मिश्रण होता है। आपमें से प्रत्येक चाहे छोटा बच्चा भी हो, या अनुभवी लोग भी हों सबने इसको देखा होगा अपने अपने जीवन में। हम उस दुख से कष्ट से दब सकते हैं या उसके ऊपर उठ सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। इसमें सरकार मदद नहीं कर सकती, कोई राजनीतिक दल मदद नहीं कर सकता। ये तो हमारा अपना मनोबल कितना है,

अपनी अंदरूनी शक्ति कितनी है इस पर निर्भर है और आज जो स्वतंत्रता दिवस है इससे हम सबको ध्यान देना है।

इन चार सालों में आपने देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कि हर साल कोई न कोई काम ऐसा हुआ है जिससे भारत की प्रतिष्ठा बाहर के देशों में बढ़ी है और हमारे दिलों में बढ़ी है। हमने उसको वो लाभ नहीं उठाया जो दूसरे देश उठाते हैं। हमने माने मैंने या सरकार ने नहीं भारत के लोगों ने, उसका वो उपयोग नहीं किया कि उससे एकता और मजबूत हो और राष्ट्र का गौरव बढ़े जो सब देश करते हैं। ये कुछ हमारी कमी रह गयी यहां जब एशिया के, एशियाड के खेल हुए तो दिल्ली वालों को मुझे मालुम है कितनी खुशी हुई। विरोधी दल के भी नौजवान मेरे पास आये कि चाहे और बातों में हम आपसे सहमत नहीं हैं, लेकिन इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमें खुशी है। लेकिन प्रचार क्या हुआ कि कितना रूपया जाया हुआ, क्या फायदा था इसका? अभी हाल में आपने देखा कि दूसरे देश ने, दूसरे भावना से ऐसी चीज प्रकट की। तो हमको तो देखना है कि हर मौके पर ये नहीं कि एक पार्टी मजबूत होती है कि नहीं, सारा देश हर मौके को कैसे ले सकता है एकता बढ़ाने के लिए। देश की शक्ति, देश का मनोबल, देश का अभिमान बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ये है सबसे बड़ा काम।

अब हमारे ऊपर एक दूसरी बड़ी जिम्मेदारी भी आयी है देश की है ही है। लेकिन कुछ बाहर के देशों का भी लोग तो उसको नेतृत्व करते हैं, मुझे नेतृत्व का नेता होने का शौक नहीं है, हम तो कहते हैं हमें मौका मिला है कि इतने सौ एक देशों की सेवा करें। लेकिन यह कहना पड़ता है कि हमारे बीच में ही मतभेद हैं, कुछ देशों में लड़ाई हो रही है और उसको हम रोक नहीं पाये। लेकिन कोशिश में हम लगे हैं। जैसे ईरान और ईराक के बीच में। वहां के नेताओं से हर समय संबंध पथ किताबत.. है, दूसरे नेताओं से है कि क्या हो सकता है। बहुत से लोग यहां आये हमारे अफसरान, मिनिस्टरान इन देशों में और दूसरे देशों में इस विषय पर गये और पूरी कोशिश हमारी जारी है और भी देश हैं जहां झगड़े हैं। हाल में हमारे पड़ौस में भी एक झगड़ा हुआ। आपको तो मालुम है कि हमारी नीति हमेशा दोस्ती की रही है और हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो। चाहे पाकिस्तान से या बंगलादेश या नेपाल या श्रीलंका, ये हैं हमारे निकट के पड़ौसी। पाकिस्तान ने बहुत वर्ष पहले जब जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने सुझाव दिया था जिससे एक दूसरे से हम लड़ाई ना करें, इसपर समझौता हो और उस बात को अलग अलग रूप में पहले पूज्य शास्त्री जी ने और मैंने उसको दौहराया। लेकिन बराबर वो उसको ठुकराते गये। अब जाकर कुछ साल पहले अबकी जब मैं प्रधानमंत्री बनीं जिस समय उनको बहार से नवीन प्रकार के जोरदार शस्त और हथियार मिले उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी जोड़ दिया उसके बाद में कि

ऐसा समझौता होना चाहिए। हमें इस समझौते से कुछ कोई विरोध नहीं है हमारा इससे, हम तो स्वयं चाहते हैं। लेकिन हमने एक बात कही कि अभी तक आप इसको ठुकराते रहो, अब आप उठा रहे हैं इसको तो क्या इसके लिए एक वातावरण अच्छा नहीं बनाना चाहिए और उसके लिए क्या हम एक समझौता नहीं कर सकते हैं- दोस्ती का, सहयोग का और शांति का। अगर ये समझौता हम करते हैं तो स्वभाविक है कि लड़ाई होगी ही नहीं। वैसे तो ये सब बातें शिमला समझौते में आ गयी थीं, लिखति हैं, दोनों देशों के दस्तखत हैं। लेकिन अगर वो नहीं चाहते उस समझौते को तो एक इस प्रकार का नया समझौता हो सकता है। लेकिन कहना कि दोस्ती, सहयोग और शांति का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हम ये समझौता करेंगे कि लड़ाई ना हो मैं आपसे पूछती हूं मेरे भाइयों और बहनों कि ये चीज में कैसे चल सकती है। इसको गहराई से कैसे ले सकते हैं हम लोग। लेकिन हम कोशिश में लगे हैं अभी भी कैसे हो। हमें दुख है कि वहां के टीवी में, वहां के समाचार पत्रों में, अभी भारत के बारे में जो कहा जाता है वो सच्चाई से बहुत दूर है। जिसको कह सकते हैं कि हमारे अंदरूनी मामले में दखल हो रही है। लेकिन हम बहुत सभ्यता से, दोस्ती के शब्दों से उनसे बात करते जा रहे हैं। लेकिन भारत की क्या इज्जत है, भारत का क्या हित है उसको कोई भी सरकार अलग कर सकता है। श्रीलंका की स्थिति तो बहुत गंभीर है और सबसे दुख आज जो मेरा दिल रोने से भरा है वो उन लोगों के लिए निर्दोष लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनपर इतना हमला हो रहा है। वहां भी उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं और जाहिर है किसी भी सरकार को उनका सामना करना है। लेकिन जिस प्रकार से एक कौम पर हमला हो रहा है कई वर्षों से उससे वहां शांति नहीं आई है, वहां की स्थिति और बिगड़ती गयी है। हम दखल नहीं देना चाहते, हम दूसरे देश की एकता में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहते, हमारे हित में भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे पड़ौसी देश स्थिर रहें, मजबूत रहें, हमशे दोस्त रहें। तो दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया और कहा कि हम अगर मदद कर सकते हैं कि आपकी बातचीत हो सके और कुछ निर्णय निकल सके, जो सबको स्वीकार्य हो तो आपके लिए भी लाभदायक होगा और हम संकट से बचेंगे। हमारा संकट क्या है कि दुख तो सारे भारत का है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, उनका दुख और कष्ट कुछ ज्यादा ही है। चालीस हजार शरणार्थी वहां पर आ बसे हैं। अब उनके बीच दूसरे लोग भी आ सकते हैं, जासूस भी आ सकते हैं, बाहर से लोग आ सकते हैं, हमको नहीं मालूम कहां से आते है और हमारी सीमाएं ऐसी हैं कि हमेशा इन्हें रोक भी नहीं सकते, कितनी भी कोशिश करें, कोशिश हम कर रहे हैं, पैट्रोलिंग हर तरफ बढ़ा है। तो इसीलिए मेरा अनुरोध श्रीलंका के राष्ट्रपति से था कि किसी न किसी तरह से बैठ कर बातचीत हो। उन्होंने स्वयं सुझाव दिए और हमारी आशा थी कि शायद उनके नेतृत्व से ये चीज आगे बढ़ेगी, कुछ

समझौता होगा। लेकिन अभी तक जब अखबार खोलते हैं तो कुछ दुर्घटना की ही खबर मिलती है। हमारा पूरा ध्यान वहां पर लगा हुआ है और जो लोगों के कष्ट हैं इन पर हमारी पूरी सहानुभूति है।

हमारे चारों तरफ जो समुद्र है वहां से कोई खतरे कम नहीं हैं, लेकिन अगर मैं बाहर की बातों का और खतरों का घड़ी घड़ी वर्णन देती हूं तो जैसे मैंने कहा कि यहां के कष्ट से ध्यान हटाने के लिए नहीं है, इसलिए कि जल्दी से जल्दी हमें यहां की समस्याओं का समाधान करना है। जल्दी से जल्दी हमारे भीतर मजबूती और एकता करनी है। जिससे कि हम हर खतरे का सामना कर सकें। एक दूसरे को दोषी कहने से या हमारे पुलिस का मनोबल करने से, कम करने से हमारी फौज पर इल्जाम लगाने से इससे देश मजबूत नहीं होता। हमारे जवानों ने अनेक बार जब भी हमला हुआ तो उसका सामना किया हिम्मत से, जान कुर्बान की। जब देश में संकट हुआ चाहे बाढ़ के कारण या किसी दूसरे कारण तो वो ही मैदान-ए-जंग वही शांति की जंग में भी वो ही होते हैं लोगों की सहायता के लिए। तो कैसे उनकी प्रशंसा ना करें। अगर एकाद किसी की गलती हो उनमें वो हो या राजनीतिक लोगों में हो या कर्मचारियों में हो या किसी और को हो तो सब इंसान हैं थोड़ी सी गलती होती है। लेकिन उसके कारण हम सबों का देश का मनोबल नीचे घसीटें ये किसी भी नागरिक के किसी भी राजनीतिक दल के हित में नहीं हो सकता। और मुझे अत्यंत दुख है कि कुछ लोग किसी भी चीज को उठाने के लिए तैयार हैं अगर वो समझते हैं कि उसमें कुछ उनका प्रचार हो जाता है या कुछ लाभ। मैं तो नहीं समझती हूं कुछ लाभ हुआ होगा। लेकिन हां देश की हानि होगी और देश का मनोबल गिरेगा। हमें याद रखना है कि ये जब आजादी का दिन है तो आजादी केवल एक दफे पाने से रह नहीं जाती, हर समय इसके लिए लड़ना होता है। इस आजादी के लौ को हर तूफान से हमें बचाना है, हर हवा से बचाना है। अपने परिश्रम से बचाना है, जरूरत हो तो अपनी जान से बचाना है। ये भावना हमको आज के दिन लेनी है।

मैं जब पहले 20 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र कर रही थी तो मैंने बताया कि यही उसकी वजह है कि हम गरीबों को कैसे उठायें, कमजोर लोगों को, छोटे किसानों को कैसे मदद करें। एक हजार करोड़ रूपया अधिक नये कार्यक्रमों पर लगाया जा रहा है। जहां भी कुछ कठिनाई की आवाज आती है उसकी तरफ हम देखते हैं। तो सातवीं योजना अब आरम्भ हुई है और उसके मूल्य मंत्र क्या हैं ये आपको मालुम है। भोजन, रोजगारी, उत्पादन और तीनों मिले हैं। उत्पादन नहीं बढेंगा तो नौकरी नहीं मिल सकती और भोजन नहीं मिल सकता। तो तीन चीजों को हम अगर आगे बढ़ा सकते हैं और काफी धनराशि इसके लिए अलग रखी है। तो देश की नींव और मजबूत होती है।

साथ ही साथ किस प्रकार से हरेक दूसरे की सहायता करें, किस प्रकार से आजादी की लड़ाई जो हमारे आंदोलन के पहले में ही असल शुरू हुई है। लेकिन इधर उधर अलग अलग रूप से हुई, इसलिए सफल नहीं हो सकी। 1857 की कहानी आप जानते हैं और आज शाम को उसके बारे में शायद और कुछ सुनेंगे। क्यों हमें याद नहीं हुईं क्योंकि तमाम जनता उसके साथ नहीं थी। मन से थी, लेकिन सिपाही समझकर आगे नहीं बढ़ी। गांधी जी का आंदोलन और जिसका आखिरी पड़ाव 9 अगस्त को शुरू हुआ था, वो दिन भी हम हर साल मनाते हैं। वो क्यों कामयाब हुआ? हिंसा से नहीं, घृणा से नहीं, किसी से दुश्मनी से नहीं। हमारी दुश्मनी अंग्रेजों से नहीं थी, विलायत से नहीं थी। साम्राज्यवाद से लड़ाई थी, इंपिरियलिज्म ... से लड़ाई थी और किसी भी शक्ल में आप अगर हम उस इंपिरियलिज्म;; को कहीं भी देखते हैं तो आज भी हमारी लड़ाई उसके संग रहती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में, वहां हमारे भारतीय लोग भी हैं और वहां के पुरानी, वहां की जनता भी है। उनको आजादी नहीं है, उनको नागरिक के साधारण अधिकार भी नहीं है तो कैसे हम अपनी आवाज उनके लिए नहीं उठायें। इन सब बातों पर आपको गौर करना है। अगर कोई भी एक बड़े नेता ने कहा कि एक भी शायद आदमी अगर गिरफ्तार है तो हम भी गिरफ्तार हैं और कोई भी देश गुलाम है तो उस गुलामी की छाया हमारे ऊपर भी पड़ सकती है।

स्वतंत्रता और शांति ये दोनों हैं जो सब जगह होनी चाहिए तभी प्रत्येक व्यक्ति को भी वो चीज मिलनी चाहिए। भारत शांति के लिए प्रयत्न कर रहा है। हाल में ही पांच और देश के या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मैंने अपील सब दूसरी दुनिया को की कि ये परमाणु शस्त्र हथियार जमा हो रहे हैं जिनकी इनमें से शायद 100वां हिस्सा भी सारी दुनिया को समाप्त कर, मनुष्य जाति को समाप्त कर सकता है। अभी भी लोग बना रहे हैं अभी भी लोग जमा कर रहे हैं और दोष किसको दे रहे हैं भारत को। भारत की शक्ति है बनाने की, इतनी बड़ी शक्ति नहीं, छोटी शक्ति। लेकिन तब भी हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया कि वो कर सकते हैं। किस लिए बंम बनाने के लिए नहीं और एक भी बंम हमारे पास नहीं है। इसलिए कि उससे हम बिजली बनायें, उससे अपने किसानों की सहायता कर सकें, उससे देखें कि हम डॉक्टरी ईलाज में क्या मदद कर सकते हैं। जो हमारा कार्यक्रम है चाहे अंतरिक्ष का हो, चाहे खेल कूद बढ़ाने का हो, चाहे विज्ञान बढ़ाने का हो और ये कोई नहीं हो सकता अगर हमारे नौजवान इस काम में आगे नहीं बढ़ते। अगर उनमें योग्यता और क्षमता नहीं होती तो हमें सफलता नहीं मिलती। ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं कि जो भारत के गरीब हैं, भारत के मध्यम वर्ग हैं, इन लोगों के कष्ट कुछ कम हों, कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो जिससे कि हम इनकी और मदद कर सकें। ज्यादा ये देश ज्यादा स्वस्थ हो, हर प्रकार से इसकी शक्ति बढ़े जिसमें जिन दिशाओं में हम पीछे हट गये हैं और पीछे हटना तो लाजमी था जब दूसरे ये

बड़े बड़े देश हमसे दो साल पहले, दौ सौ साल पहले औद्योगिक क्रान्ति उनकी हुई थी तो हम तो उस दौर में से पिछड़ गये हैं। कैसे पकड़ेंगे उनको अगर हम एक नहीं रहते हैं तो। अगर हमारे नौजवान, तोड़-ताड़ के काम में लगते हैं बनाने के काम में नहीं। तो घड़ी घड़ी में एक बात दोहरा रही हूं क्योंकि मुझे मालुम है कि ये योग्यता हमारी युवा पीढ़ी में, हमारे जो होनहार बच्चे यहां बैठे हुए हैं उनमें है। स्कूल में हों, कॉलेज में हों या दूसरे संस्था में। कैसे उन गुणों को बाहर निकाला जाय, जो भारत के पुराने आदर्श थे उनको हम भूल रहे हैं। हम धर्म का नाम लेते हैं, परंपरा का लेते हैं, लेकिन उसको जो मूल उसको जो बीच है, उसका जड़ है यानी अच्छाई, उपकार, दूसरे के तरफ ध्यान देना, मदद देना और सबसे ज्यादा शांति का वातावरण रखना। इन सब आदर्शों को हम भूल रहे हैं। इनको भूल जायेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें सामाजिक परिवर्तन करना है, आर्थिक स्थिति सुधारनी है, लेकिन संग संग हमें अध्यात्मिक शक्ति अपनी बढ़ानी है। उसके बिना कुछ आपको मिल जाये तो आप महान देश नहीं हो सकते। जो नैतिक मूल्य हैं उनपर हमको विचार करना है और भारत में ऐसी चीजें हैं, ऐसे गुण हैं जो शायद ही किसी जगह अब बचे हों। हम भी इसको न खो दें ये मेरी आज के दिन प्रार्थना है।

ये झण्डा है एक प्रतीक, एक कपड़े का तुकड़ा नहीं है, ये प्रतीक है भारत की स्वतंत्रता का, भारत के त्याग का, भारत के सुंदर भविष्य का और आज के दिन हम सब मिलकर जिनको भी चाहे सूखे के कारण, बाढ़ के कारण, कौमी दंगे के कारण या किसी दूसरे कारण, कुछ भी दुख है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और साथ साथ उनसे और सबसे अनुरोध करते हैं कि अच्छी वर्षा हो जिसमें अच्छा अनाज पैदा हो वो सब तक पहुंचे और ये देश हर तरह से तीव्रगति से आगे बढ़ता चला जाय, बढ़ता चला जाय और हमारे सब लोग शांति और मैत्री के रास्ते से दुनिया को नया रास्ता दिखायें। मैं आप सबको अपनी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से शुभकामनाएं देती हूं।

मेरे संग अब मिल कर नारा लगायेंगे, वैसे तो बच्चे ही कहते हैं, मेरी आशा है आप सब मिलकर के कहेंगे जितने लोग यहां सामने बैठे हैं और जितने बहुत पीछे हैं वहां पर।

जय हिंद (जन समूह... जय हिंद),
जय हिंद (जन समूह... जय हिंद),
जय हिंद (जन समूह... जय हिंद),